

No. 21/7/2023-CS.I(Coord.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(CS.I Division)

2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated the 6th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Engagement of retired Government servants as Consultant in DIPAM – regarding.

Reference is invited to DIPAM's Circular No.A-7/1/2016-Admn.(Part-II) dated 27th March, 2023 inviting applications for engagement of Consultant on contract basis in DIPAM. The last date for receipt of application is 17.04.2023, as mentioned in circular of DIPAM.

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/ Department/ Office directly.

Sunil Kumar
06/04/2023
(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India

To (Through DoPT's website): (For Retired CSS Officers)

फा.सं. 7/1/2016-प्रशा. (भाग II)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

कमरा सं. 221, ब्लॉक संख्या 11 एवं 14,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली - 110003

दिनांक 27 मार्च, 2023

परिपत्र

विषय: परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय दीपम के सचिव कार्यालय में परामर्शदाता के रूप में एक (01) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव स्तर) की नियुक्ति करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों के इच्छुक और पात्र सेवानिवृत्त ऐसे सरकारी कर्मचारी जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन कर सकते हैं :

- i. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निजी सचिव (पीएस)/प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में सेवानिवृत्त हुए हों और जो सरकारी मंत्रालयों/विभागों के कार्य से अच्छी तरह परिचित हों।
- ii. जिन्हें अच्छे संप्रेषण और पारस्परिक कौशल का ज्ञान हो।
- iii. जिन्हें कंप्यूटर पर काम करने का उत्कृष्ट ज्ञान हो।
- iv. जो इस विभाग के अन्य प्रशासनिक कार्यों को करने में सक्षम हो।
- v. इस पद की कार्य प्रोफ़ाइल और जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पदों के समान होगी।

2 नियुक्ति की सामान्य निबंधन और शर्तें:

2.1 **आयु सीमा:** आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 64 वर्ष से कम होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।

2.2 नियुक्ति और विस्तार की अवधि:

(क) नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदाधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति के बाद, आईएफडी की सहमति और सचिव महोदय के अनुमोदन से, आवश्यकता और कार्य-निष्पादन के आधार पर परामर्शदाता

की नियुक्ति को बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति का विस्तार, यदि कोई हो, केवल सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर होगा।

- (ख) परामर्शदाता की नियुक्ति को अधिवर्षिता के बाद 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

2.3 कार्य के घंटे:

- (क) कार्य दिवसों के दौरान बीच में आधे घंटे के भोजनावकाश सहित कार्य के घंटे सुबह 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगे। हालांकि, कार्य की तात्कालिकता की स्थिति में, परामर्शदाता से देर तक रुकने की अपेक्षा हो सकती है और शनिवार/रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाशों को बुलाया जा सकता है।
- (ख) परामर्शदाता को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (बीएएस) में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। मासिक पारिश्रमिक की गणना बीएएस रिपोर्ट और अन्य शर्तों के आधार पर की जाएगी।

2.4 कार्य प्रोफाइल:

- (क) इस पद की कार्य प्रोफाइल और जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में समकक्ष पदों के समान होंगी।
- (ख) परामर्शदाता आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए जारी किए गए उपकरण और अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ग) परामर्शदाता को अच्छे संप्रेषण और पारस्परिक कौशल का ज्ञान होना चाहिए।
- (घ) उन्हें कंप्यूटर पर काम करने का उत्कृष्ट ज्ञान होना चाहिए।
- (ङ) उन्हें विभाग के अन्य प्रशासनिक कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।

2.5 पारिश्रमिक:

- (क) परामर्श शुल्क के रूप में एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पैशन घटाकर प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी।
- (ख) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), यथा-स्वीकार्य की कटौती परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से की जाएगी।
- (ग) नियुक्ति की अवधि के दौरान, परामर्शदाता परामर्श शुल्क/परिवहन शुल्क की वार्षिक वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.6 अत्ते:

- (क) आवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के उद्देश्य से स्थानीय परिवहन शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि सेवानिवृत्ति के समय लागू दर पर दी जाएगी जो नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

- (ख) आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता (टीए)/दैनिक भत्ता (डीए), यदि कोई हो, सेवानिवृति के समय पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।
- (ग) परामर्शदाता किसी अन्य प्रकार के भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, आवासीय टेलीफोन, सीजीएचएस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के लिए हकदार नहीं हैं।

2.7 छुट्टी

- (क) परामर्शदाता, आनुपातिक आधार पर गणना किए गए सेवा नियोजन के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति के लिए वैतनिक छुट्टी का हकदार होगा।
- (ख) स्वीकार्य छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए परामर्शदाता को किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यकाल का विस्तार किए जाने या सेवा नियोजन समाप्त किए जाने पर अप्रयुक्त छुट्टी को न तो अग्रेनीत किया जाएगा और न ही इसके लिए भुगतान किया जाएगा।

2.8 गोपनीयता और सत्यनिष्ठा:

- (क) विभाग के लिए एकत्र की गई सभी सूचनाओं/आंकड़ों और तैयार की गई वितरण योग्य सामग्री की बौद्धिक संपदा का अधिकार (आईपीआर) विभाग के पास रहेगा।
- (ख) परामर्शदाता, अपने कार्य के प्रयोजन के लिए या अपने कार्य के दौरान एकत्र की गई किसी सामग्री को कार्यालय की लिखित सहमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को संप्रेषित या प्रकट नहीं करेगा।
- (ग) परामर्शदाता ऐसे किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा/करेगी या राय या सलाह नहीं देगा/देगी जो इस कार्यालय के हितों के प्रतिकूल हो। सेवा नियोजन की अवधि के दौरान उसे कोई अन्य कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी।

2.9 सेवा नियोजन की समाप्ति:

- (क) परामर्शदाता का सेवा नियोजन पूर्ण रूप से अस्थायी आधार पर होगा और वह विभाग में किसी भी लाभ/मुआवजे/आमेलन/सेवा के नियमितीकरण का हकदार नहीं होगा/होगी।
- (ख) विभाग निम्नलिखित स्थितियों में परामर्शदाता/परामर्शदाताओं की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है :

 - (i) परामर्शदाता, सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ है।
 - (ii) कार्य की गुणवत्ता विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।
 - (iii) परामर्शदाता, विभाग द्वारा निर्णीत महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने में विफल रहता है।
 - (iv) परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।
 - (v) उस पद के लिए नियमित पदाधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं जिसके लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

- (ग) परामर्शदाता विभाग की सेवाएं छोड़ने के लिए एक महीने का नोटिस देगा/देंगे। विभाग द्वारा जनहित में, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व नोटिस के, किसी भी समय सेवा नियोजन समाप्त किया जा सकता है।
- (घ) परामर्शदाता अपना पहचान पत्र/पास और कार्यालय के सभी उपकरण आदि, यदि कोई हो, विभाग को सौंप देंगे और विभाग द्वारा अंतिम भुगतान जारी करने से पहले बेबाकी प्रमाण पत्र जमा करेंगे।

3. अन्य शर्तें:

- (क) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन से परामर्शदाता को होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, क्षति, या किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ख) विभाग को किसी भी स्तर पर विज्ञापन को रद्द करने और परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं करने का अधिकार है। विभाग बिना कोई कारण बताए, किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- (ग) सचिव (दीपम) के अनुमोदन से विभाग के पास परिस्थितियों के अनुसार, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का अधिकार है।

4. आवेदन जमा करना:

विधिवत पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन अनुबंध-I में निर्धारित प्रोफार्म में ईमेल द्वारा onkar.singh82@gov.in पर भेजा जाना चाहिए। साथ ही पंजीकृत डाक के माध्यम से कमरा सं. 424ए, ब्लॉक सं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड को 17.04.2023 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाना चाहिए जिस पर विषय के रूप में "परामर्शदाता के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए।



30
21.03.23

(ऑंकार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या 24363058
ईमेल: onkar.singh82@gov.in

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव, सीएस-। प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 03 (व्यापक प्रचार के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)
2. एनआईसी, दीपम - इस परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), दीपम
4. गाड़ी फाइल।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में परामर्शदाता के लिए आवेदन

सेवा में,
अवर सचिव (प्रशा.)
दीपम, वित्त मंत्रालय

हाल ही का
पासपोर्ट साइज का
फोटोग्राफ चिपकाएं

महोदय,

कृपया दिनांक 27.03.2023 के परिपत्र सं. 7/1/2016-प्रशा: (भाग II) के अनुसरण में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए मेरे आवेदन को स्वीकार करें। मेरा विवरण नीचे दिया गया है:

जीवन-वृत्त

क्र.सं.	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाना है
1.	नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्मतिथि	
4.	दूरभाष/मोबाइल संख्या	
5.	ईमेल का पता	
6.	पत्राचार हेतु पता	
7.	स्थायी पता	
8.	वर्तमान आयु (वर्ष/माह)	
9.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
10.	वह पद जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं	
11.	उस मंत्रालय/विभाग का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं	
12.	अंतिम आहरित वेतन (मूल+ग्रेड पे या स्टार/इंडेक्स) (एलपीसी को संलग्न किया जाए)	
13.	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता	
14.	सेवा में रहते हुए किस प्रकृति के कार्य किए गए	
15.	कंप्यूटर ज्ञान	वर्ड/एक्सेल/पावरपॉइंट
16.	क्या आपने परामर्शदाता के रूप में कार्य किया हैं या वर्तमान में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कार्यालय और पारिश्रमिक आदि का विवरण	

*यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पत्रक संलग्न करें

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी गलत/अपूर्ण पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है। मैंने परिपत्र पढ़ लिया है और नियोजन के निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

स्थान:
तारीख:

(हस्ताक्षर)